बिहार सरकार

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-14.

विज्ञापन संख्या-बी.सी.ई.सी.ई.बी. (बी.सी.ई.सी.ई.)-2012/03 दिनांक - 07.01.2012

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (BCECE)-2012 से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (बी.सी.ई.सी.ई.)-2012 से सम्बन्धित अभ्यर्थियों एवं सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-वि0प्रा0(II)छात्र-01/2011-05 दिनांक 03.01.2012 के द्वारा प्रेषित पत्र द्वारा 2012-13 सत्र के लिए ऑल इन्डिया कॉन्सिल ऑफ टेकनिकल एडुकेशन (AICTE) के नियमन को विवरण-पुस्तिका में सम्मलित करने हेतु दी गयी सूचना के अनुसार BCECE-2012 की विवरण-पुस्तिका की कंडिका-''14.8(क) शैक्षणिक'' को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

कंडिका-14.8(क)-I. इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलौजी (चार वर्षीय पाठ्यक्रम):- इंजीनियरिंग / टेक्नोलौजी पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी तथा गणित एवं वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, बायोटेक्नोलौजी एवं बायलौजी में से किसी एक के साथ 10+2 या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण ।

कंडिका-14.8(क)-II. फार्मेसी (चार वर्षीय पाठ्यक्रम):- फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी विज्ञान एवं रसायन विज्ञान एवं वैकल्पिक विषय के रूप में गणित / बायोटेक्नोलौजी / बायलौजी में से किसी एक के साथ 10+2 या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण ।

कंडिका-14.8(क)-III. सामान्य कोटि के 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के इंजीनियरिंग / टेक्नोलौजी / फार्मेसी पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए 10+2 या समकक्ष परीक्षा में सम्बन्धित अनिवार्य विषयों एवं किसी एक सम्बन्धित वैकल्पिक विषय को मिलाकर कम-से-कम 45% का न्यूनतम प्राप्तांक आवश्यक है तथा अन्य आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 40% होना चाहिए ।

कंडिका-14.8(क)-IV. 10+2 या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन साक्षात्कार के समय तक उपरोक्त प्राप्तांक के साथ उतीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा ।

2. BCECE-2012 की विवरण-पुस्तिका के ''अनुलग्नकों की सूची (जाँच सूची)'' के अन्तर्गत पृष्ठ-2 की कंडिका-9(vi) की मुद्रित सामाग्री को (जो अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही भाषा में है) इस प्रकार संशोधित किया जाता है:-

> "Such candidate who have not studied in Bihar but claim eligibility on ground of permanent residence in Bihar in respect of their parents, must also furnish a certificate from the Institution where he / she is studying for the qualifying examination indicating the permanent address as recorded in the admission Register of that Institution."
>
> ''अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार में शिक्षा नहीं प्राप्त की है किन्तु जिनके माता / पिता के बिहार के स्थायी / मूल निवासी होने के कारण अपनी पात्रता (Eligibility) का दावा करते हो, अर्हक (Qualifying) परीक्षा में जिस संस्थान से सम्मिलित हो रहे हो उनके नामांकन रजिस्टर में उनका जो स्थायी पता दर्ज हो, उसके उल्लेख के साथ एतद् सम्बन्धी प्रमाण-पत्र भी दे।''

3. BCECE-2012 के आवेदन प्रपत्र के क्रम-14(a)-(ii) पर मुद्रित-''15.4(ग)-for Medical Stream'' को ''15.4(च)-for medical stream'' के रूप में संशोधित किया जाता है । BCECE-2012 के लिए आवेदन करनेवाले अभ्यर्थी विवरण-पुस्तिका की कंडिका-14.8(ख) में अंकित अपनी आवासीय अर्हता का उल्लेख आवेदन-प्रपत्र के क्रम-14(a) में यथास्थान करें ।

BCECE-2012 की निर्गत विवरण-पुस्तिका एवं आवेदन-प्रपत्र में उपरोक्त के अनुसार इस हद तक परिवर्तित एवं संशोधित समझा जाय। विवरण-पुस्तिका की अन्य कंडिकायें/शर्त्तें यथावत् रहेगी।

परीक्षा नियंत्रक

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

Website: www.bcecebonline.com एवं www.bceceboard.com